# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

**अपील डिक्री/टीए/1191/2005/नागौर**

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेडता जिला नागौर।
2– जिला कलेक्टर, नागौर।

**–अपीलांट्स**

**बनाम**

1– प्रतापसिंह (मृतक) पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुण्डास तहसील मेडता जिला नागौर जरिए कायममुकामः–
1/1 मु0 पूर्णकंवर पत्नि स्व0 प्रतापसिंह
1/2 भंवरकंवर पुत्री प्रतापसिंह
1/3 हेमेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 प्रतापसिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम कुण्डास तहसील मेडता जिला नागौर
1/4 श्री मति रिंकूकंवर पुत्री प्रतापसिंह पत्नि कमलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आशियाना तहसील देवालपुर जिला इंदौर (म0प्र0)

**–रेस्पोडेण्ट्स**

**खण्डपीठ**
**श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष**
**डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य**

**उपस्थितः–**

1. श्री शांतिप्रकाश ओझा, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

**निर्णय**

दिनांक– 29–11–2024

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 66/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188, 189 के तहत् एक वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश, मेडता के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खेत खसरा नंबर 262 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा तथा मौके पर रकबा 48 बीघा ग्राम कूम्पडास में स्थित है। उक्त

रकबा रेस्पोडेण्ट/वादी के पिता के कब्जे काश्त में जागीरदारी के समय से ही था। लेकिन सेटलमेंट के समय इसका रकबा गलत रूप से दर्ज कर राजस्व अधिकारियों ने गलती की है। सेटलमेंट के समय से लगातार उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट/वादी के पिता ने मदनलाल पुत्र चांदमल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से खसरा नंबर 262 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा का बेचान किया तथा वास्तविक रूप से 48 बीघा का कब्जा दिया गया। दिनांक 19–5–1977 को मदनलाल पुत्र चांदमल से उक्त आराजी रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा का बेचान रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया तथा वास्तविक रूप से कब्जा 48 बीघा का ही सौंपा गया था। रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा उक्त भूमि में से रकबा 8 बीघा भूमि गायडाराम पुत्र पिराराम को बेचान कर दिया एवं शेष उसके पास 17 बीघा 15 बिस्वा जमीन रही एवं मौके पर 40 बीधा का कब्जा है किन्तु पटवारी द्वारा खसरा नंबर 262 की 17 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी के अलावा मौके पर आई 22 बीघा 5 बिस्वा भूमि से बेदखल किए जाने पर उसके द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त 22 बीघा 5 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने से उक्त इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर कब्जा काश्त शुदा भूमि की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट/वादी के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की इस्तदुआ की।

अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा उक्त दावे का जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद–पत्र के अनुसार वादी 262 के रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर 40 बीघा पर अपना कब्जा बताता है, जो रिकार्ड के मुताबिक प्रमाणित नहीं है। यदि खसरा नंबर 262 का रकबा बढाया जाता है, तो उससे ग्राम कुम्पडास का कुल क्षेत्र प्रभावित होगा, जो दिया जाना संभव नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे। दावे व जबावदावे के आधार पर चार तनकियात कायम की –

1– आया खेत खसरा नंबर 262 रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा पर वादी का सेटलमेंट से पूर्व से काश्त व कब्जा चला आ रहा है, जिससे वादी इस खेत की खातेदारी पाने के अधिकारी है? –वादी

2– आया वादी, प्रतिवादीगण के खिलाफ माफिक वाद स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है? –वादी

3– आया वादी अतिक्रमी होने से कोई खातेदारी आराजी मुतनाजा पर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? – वादी

4– दादरसी

दावे व जबावदावे व तनकियात के आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 1–4–2002 द्वारा दावा वादी साबित नहीं होने से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–8–2003 द्वारा विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट/वादी का कब्जा मानते हुए अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14–8–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार रेस्पोडेण्ट का नाम केवल खसरा नंबर 262 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा पर खातेदारी दर्ज है। इस कारण 40 बीघा रकबा दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा सरकारी भूमि पर खातेदारी प्रदान कर राज्यहितों के विपरीत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट ने सन् 1977 के बेचाननामें के अनुसार खसरा नंबर 262 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा क्रय किया था। अतः क्रय किए गए रकबे से अधिक भूमि को बिना किसी आधार के रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। गांव का रकबा केवल राज्य सरकार के आदेश से गजट नोटिफिकेशन से ही बढाया या घटाया जा सकता है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाकर दावा निरस्त किया जावे। उन्होंने अपील के साथ प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 व शपथ–पत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा उनमें अंकित कारणों के मध्यनजर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

5– रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेण्ट अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहा है एवं बेचानामें के आधार पर क्रय की भूमि के आधार पर वह खातेदार है। लेकिन सेटलमेंट द्वारा गलत तौर पर मौके पर 40 बीघा जमीन को रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज नहीं की,

जिससे उसके विरूद्ध पटवारी द्वारा बेदखली की कार्यवाही किए जाने पर वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेट की अपील को स्वीकार कर रेस्पोडेंट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश प्रदान किया है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— सर्वप्रथम हमने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र व शपथ—पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना—पत्र में अंकित कारण सद्भाविक व संतोषजनक प्रतीत होते हैं तथा रेस्पोडेंट की ओर से कोई प्रति शपथ—पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सर्वप्रथम रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अपने वाद पत्र में खसरा नंबर 262 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा रेकार्ड के अनुसार व मौके पर 48 बीघा वादी के पिता के कब्जे काश्त में होना अंकित किया। रेस्पोडेंट/वादी के पिता द्वारा रिकार्ड में केवल 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी तथा उसने इतनी ही भूमि का बेचान मदनलाल पुत्र चांदमल को किया गया था। मदनलाल से पुनः भूमि का क्रय भी रेस्पोडेण्ट द्वारा 25 बीघा 15 बिस्वा का ही किया गया। तहसीलदार द्वारा वाद—पत्र के जबावदावे में यही अंकन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादी कभी 17 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर 40 बीघा भूमि का अभिधारी था। साथ ही जबाव में यह भी अंकन है कि यदि किसी व्यक्ति का सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण पाया जावे तो उसे धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् बेदखल करने का प्रावधान है। अतः वाद खारिज किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 एवं जमाबन्दी संवत् 2054 से 2056 पर खसरा नंबर 262 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा पर प्रतापसिंह पुत्र हनुमानसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है।

चालू जमाबन्दी के अनुसार खसरा नंबर 262 पूर्व सर्वे नंबर के कुल तीन टुकडे है जिसमें भंवरलाल, रामपाल पिता गोदाराम जाट के नाम खसरा नंबर 262/1 रकबा 10 बीघा, गायडराम पुत्र पीराराम कौम राईका सा.0 कॅूपडास खसरा नंबर 262 रकबा

8 बीघा, प्रतापसिंह पुत्र हनुमानसिंह कौम राजपूत सा0 कूँपडास खसरा नंबर 262 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा है।

इस प्रकार रेस्पोडेण्ट के पिता मात्र 25 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार थे। इसलिए केवल उनके द्वारा उसी खसरे का बेचान किया था एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा भी दिनांक 19–5–77 को उसी खसरा नंबर का 25 बीघा 15 बिस्वा का ही जरिये बेचान–पत्र क्रय किया था। इसलिए वह क्रय से ज्यादा भूमि पर कैसे हक प्राप्त कर सकता है। इसलिए पटवारी द्वारा उसके द्वारा कब्जे की भूमि रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा पर बेदखली की कार्यवाही किए जाने पर उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे के आधार खातेदारी चाही जा रही है जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। किसी भी राजस्व रिकार्ड से रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना नाम सिद्ध नहीं कर पाया है, केवल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित कराना चाहता है, जो कि विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से तनकीवार निर्णय से वाद को खारिज किया। किन्तु अपीलीय न्यायालय ने इसके विपरीत रिकार्ड से परे जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्पूर्ण रकबा 48 बीघा का खातेदार घोषित करने में त्रुटि कारित की है। जबकि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने वाद–पत्र में स्वीकारोक्ति दी है कि राजस्व रिकार्ड में अंकन मात्र खसरा नंबर 262 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा का है, लेकिन अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर मनमाना निर्णय पारित कर रेस्पोडेण्ट को सरकारी भूमि पर खातेदार घोषित करने में त्रुटि कारित की है, जो निरस्त योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के केवल मात्र कब्जे काश्त के आधार पर रेस्पोडेण्ट को राजकीय सिवायचक भूमि की खातेदारी प्रदान कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो कि विधि विरूद्ध होकर त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय दिनांक 14–8–2003 निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता का निर्णय व डिक्री दिनांक 1–4–2002 बहाल रखा जाता है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र यदि लम्बित हों तो तद्नुसार निर्णित किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर )**
**सदस्य**

**( हेमन्त कुमार गेरा )**
**अध्यक्ष**